कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक क/वाचक–1/2017 /367 घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017

प्रति

कलेक्टर
(भू–अर्जन शाखा)
रायगढ़

विषय– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर0एन0 2896/सात–1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:–

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. ज्रेकेला
7. मौहापाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2– उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन **"आवेदक कंपनी एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि पहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है"** के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र– 10 ग्राम का
प्रतिवेदन

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

–:: ईश्तहार::–

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोडा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईश्तहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक–पृथक) में ईश्तहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वें अपना आपत्ति दिनांक 08 **मई, 2017** तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक **17.04.2017** को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

17.4.17

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.

विषयः— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संर्दभः— आपका आदेश कमांक 110805/भू—अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र कमांक क/वाचक—1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलंन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम बनाई, तहसील– तमनार, जिला रायगढ़

प्रस्तावित अधिग्रहण एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपकम के लिये है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपकम की एक इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल बलॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दुरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता।

- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं अधिसूचित क्षेत्र है। तदनुसार P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का अयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है (अनु. क. ....) ।

- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा खसरा नं. कुल 5 का कुल रकबा 2.13 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 5 व्यक्ति प्रभावित होगें जिसमें 3 अनुसूचित जन जाति के 1 अनुसूचित जाति का और 1 अन्य संवर्ग का है। तथा 1 लघु कृषक है, 1 सीमांत एवं 3 समान्य कृषक है। जिसका विवरण संलग्न है (अनु. क. ....) । उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की किसी भी व्यक्ति की पुरी जमीन नहीं जा रही है।

- वस्तुतः इस ग्राम में इस रेल लाईन को बिछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है, यह रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है पूर्व में किये गये अधिग्रहण में इन प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि छूट गई थी, स्थल पर जांच करने में यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि अधिग्रहण करने से छूट गई है, और जब तक इन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता तब तक पूर्व में किया गया अधिग्रहण पर कार्य नहीं

किया जा सकता और न ही रेल लाईन बिछाई जा सकती है अतः यह अधिग्रहण आवश्यक है।

- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निश्चित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस परियोजना के निमार्ण में इस बात का ध्यान रखा गया है। कि कोई भी बसाहट, अबादी भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कूल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ रहा है और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है, जहां तक वैकल्पिक भूमि का प्रश्न है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, आस – पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है।

- न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनिकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है, जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है (अनु. क. ....) । उन्होने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है। वह न्यूनतम है और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरुप है।

- समिति कें संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है।

- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुध्द कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।

- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है (अनु. क. ....) ।

- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरुप निर्धारित प्रकिया का पालन किया गया है।

- प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपकम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित

परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपकम द्वारा निश्चिय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्यां केवल 5 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम बनाई की खसरा नं 694/3, 681/4, 904/1, 692/1, 625 रकबा कमशः 0.12, 0.47, 0.16, 1.30,0.08 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी

सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनिकी विशषज्ञ
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक

ग्राम बनाई

विषय :- NTPC लि. की रेलवे कोरिडोर परियोजना के सामाजिक समाधान हेतु जन सुनवाई के सम्बन्ध में।

दिनांक :- 29.05.2016 समय 5:00 बजे

(1) NTPC लि. DM साहब द्वारा कहा गया कि ग्राम बनाई की जमीन का अधिग्रहण किया गया है उनका अधिग्रहण शीघ्र मालिक को [illegible] प्रपत्र के नियमानुकूल मुआवजा दिया जायेगा।

(2) बनाई की जमीन का रेट 11 लाख 32 हजार 8 सौ [illegible] दिया जाय।

(3) NTPC DM साहब द्वारा जनप्रतिनिधि के [illegible] को सहयोग का [illegible] देते हुए द्वारा किया गया [illegible] ग्राम बनाई का [illegible] किया जा रहा है उसके [illegible] के [illegible] हेतु कार्य किया जा रहा है। [illegible] लोग सामाजिक कार्य में सहयोग रहेगा।

(4) NTPC अधिकारियों द्वारा [illegible] [illegible] नियमानुकूल है —

1. [illegible] 0.22 / [illegible]
2. [illegible]
   [illegible] 0.57 / [illegible]
   [illegible]
3. [illegible] 0.16 / [illegible]

5. ललित कुमार पिता आईदान
अतिक्रमण हटाने का आवेदन [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (म) 1.30/ [illegible]
[illegible], श्रीमती पिता [illegible]
[illegible] कर [illegible]

(5) श्री जमादार राठौर द्वारा अपने आवेदन में कहा कि
[illegible] [illegible] है इसी कारण [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया है
[illegible] 10 [illegible] [illegible] [illegible] 35 [illegible]
[illegible] प्र. नं. 624/
637/
शिकायतकर्ता के आवेदन होने के कारण
निराकरण नहीं किया जा सका।

(6) श्री [illegible] द्वारा [illegible] किया है [illegible]
[illegible] के संबंध में कहा गया –

(7) श्री पंचायत [illegible] हरिजन मोहल्ला में पानी की
कमी की समस्या को दूर करने के
संबंध में। और तहसीलदार [illegible] द्वारा [illegible]
को आदेश करते हुए कहा कि [illegible] की [illegible]
से पानी [illegible] दूर करने हेतु कहा
गया।

(8) श्री [illegible] साहिब [illegible] [illegible] [illegible] ने
[illegible] बेरोजगार को नौकरी दिलाने हेतु [illegible]
[illegible] 10 वी पास व ITI प्रशिक्षण कर [illegible]
रोजगार दिया जावेगा।

(9) [illegible] श्री [illegible] के द्वारा [illegible] को [illegible] किया जायेगा और [illegible] किया जायेगा और [illegible] के [illegible] जाये [illegible] जायेगा।

(10) श्री [illegible] के [illegible] हेतु की जानकारी भी [illegible] NTPC पदाधिकारियों द्वारा 15 दिन [illegible] किया जाय। ग्राम के जमीन भाग का विवरण।

(11) [illegible] पानी को [illegible] 14 दिन [illegible] बिजली [illegible] किया जाय।

[illegible signature]

[illegible signature]

सामाजिक समाधान जनसुनवाई ग्राम - बनाई
उपस्थिति पंजी
दिनांक - 29/04/1

1	हरिराम मांझी	हरीराम
2	दुर्जन राठिया	दुर्जन
3	रुपासिंग	रुपासिंह
4	नत्थुराम	नत्थू राम
5	जगमोहन	जगमोहन
6	सेहेत्तर राम	सेहेत्तर राम राठिया
7	मोतिराम कोटवार	मोतिराम
8	महावीर कोटवार	महावीर कोटवार
9	पदिन्दर	पदिन्दर
10	मशाराम	मसाराम
11	धनसाय	
12	पंचराम	पंचराम
13	अशोक राठिया	अशोक राठिया
14	सुरेन्द्र कुमार	सुरेन्द्र
15	राम कुमार	राम कुमार

क्र. 29/04/2

16	तरुण कुमार	तरुण
17	आनंद राम	आनंद
18	परेश कुमार	[signature]
19	बाल साय	बालसाय
20	धरनीधर राठिया	Dharnidhar
21	दुलस राम	दुलसराम
22	जगदीश	जगदीश प्रसाद
23	भीषमसिंग	भीषमसिंग
24	भगत राम निषाद	[signature]
25	लक्ष्मीनरायणराठिया	लक्ष्मीनरायण
26	रघुनन्दन चौहान	रघुनन्दन
27	गजानंद राठिया	गजानन्द
28	कार्तिकेश	कार्तिकेश
29	सूरजसिंग	सूरजसिंह
30	रामु	

क्र.	नाम	29/04/2016
31	उसत राम	उसतराम
32	डमरू धर	डमरूधर
33	धरम सिंह	धरमसिंह
34	प्रदीप कुमार	[signature]
35	राजाराम राठिया	राजाराम
36	कीरीत राम	किरीतराम
37	तीजराम	तीजराम
38	भगत सिंह	भगतसिंह
39	तेनीराम	तेनीराम
40	धुरूऊ	धुरूऊ
41	नरेश	नरेश
42	रविनारायण	[signature]
43	लक्ष्मी प्रसाद	लक्ष्मी प्रसाद
44	रामरतन	रामरतन
45	बिहारी	बीहारी

क्र०

29/04/

46	गोकुल राठिया	गोकुल राठिया
47	ललित राठिया	ललित
48	राधा बाई	[thumbprint]
49	एलवारा बाई	[thumbprint]
50	सुकमेत बाई	[thumbprint]
51	जानकी बाई	[thumbprint]
52	बुधनी बाई	बधनी
53	भगवती बाई	भगवति
54	करमेत बाई	करमेत
55	देमोति बाई	[illegible]
56	घसियानो बाई	घसियानो
57	सुमीत्रा बाई	समित्रा
58	सुकल आगरिया	सुकल
59	शिवकुमार	शिवकुमार
60	रामाधार	रामधार

क्र०		29/04/2016
61	सियाराम माझी	सियाराम
62	बाबु लाल	बाबुलाल
63	श्याम कुमार	[illegible]
64	राम चरन	[illegible]
65	ईश्वरी	ईश्वरि
66	बाल मुकुन्द	बाबुलाल
67	सियाराम	सियाराम
68	सत कुमार	सतकुमार
69	बी.एल. चौधरी ना-तहसीलदार	[illegible]
70	संजय अग्रवाल उपाध्यक्ष जनपद घरघोड़ा	Agrawal
71	भारत राठिया	[illegible]
72	डिगेश्वर पटेल तहसीलदार (तमनार)	[illegible] 29.04.16
73	आर.एल. शर्मा S.D.O. Kola परि. सर्वेक्षण उपनिवेशन रायगढ़	शर्मा 29.04.16
74	जे.पी. खुंटे RWO Gharghoda	[illegible] 29/04/16
75	सचिव ग्रा. पं. [illegible]	[illegible]
76	श्रीमती शिवकुमारी सिंह	[illegible]

प्रभावित खातेदार का विवरण

ग्राम बनाई प0ह0नं0 राजस्व निरीक्षक मण्डल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)

कमांक	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर	रकबा अर्जित (हेक्टेयर)	रकबा अर्जित (ए0)	उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अर्जित भू–खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर)	किस्म जमीन मौके के अनुसार	उगाई गई पिछली फसल	कृषक का प्रकार	जाति
1	पंचराम व. रामनाथ जाति गाड़ा	694/3	0.288	0.049	0.12	0.404	असिंचित	धान	S	SC
2	रुपसाय वो नंदलाल पि0 गनपत, चंदो व0 गनपत, लक्ष्मी बेवा सोनसाय जाति कंवर	681/4	0.517	0.190	0.47	2.200	असिंचित	धान	AM	ST
3	बिहारी व0 सीताराम जाति रावत	904/1	0.435	0.065	0.16	3.012	असिंचित	उड़द	AM	OBC
4	ललित,बसन्त पिता जोइधा, बरमकेलहिन बेवा जोइधा, बेनूराम, इतवार, जवाहरमती पिता अनंतराम, मानमती, श्रीमती पिता अनंतराम जाति कंवर	692/1	1.380	0.526	1.30	15.478	असिंचित	धान	O	ST
5	ना.बा. वैभव पि पूरनचंद पा. विमला जौ. पूरनचंद	625	0.445	0.032	0.08	1.445	असिंचित	उड़द	L	ST
योग	**5**	**5**	**3.065**	**0.830**	**2.13**	**22.539**				

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा जिला रायगढ़

सन्दर्भ:- कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 11805/भू. अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16/11/16

विषय:- भू अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा के अन्तर्गत एवम सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना के तहत ग्राम बनाई तहसील तमनार जिला रायगढ़ के मूल्यांकन हेतु रिपोर्ट

उपरोक्त विषय एवम सन्दर्भ के विषय मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा जिला रायगढ़ मे विशेषज्ञ समूह के दल के साथ दिनांक 28/12/2016 को घरघोड़ा मे उपरोक्त विषय पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गयी जिसमे विषयानुसार हर बिन्दुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कि गयी। चर्चा मे यह विदित हुआ कि ग्राम बनाई पर की भूमि का पुराने अधिनियम के तहत भू अर्जन हो चुका है प्रस्तावित भूमि किन्ही कारणो वश भू अर्जन से वंचित रह गयी थी। अतः प्रस्तावित भूमि बिलाई पाली कोल माइंस से लारा एन टी पी सी प्लान्ट को के लिए कोयला परिवहन के लिए बनाये जाने वाले ट्रैक पर आती है। अतः भू अर्जन आवश्यक है। प्रस्तावित भूमि का रकबा 2.05 एकड़ है। और ट्रैक की लम्बाई 1.280 कि.मी. है।

प्रस्तावित भूमि का भू अर्जन दोहरी रेलवे लाइन के आधार पर किया गया है। जिसमे फारमेशन की चौड़ाई ढलान एवम् पानी के निकास का ध्यान रख कर किया गया है साथ ही ट्रैक मेनेटेनेंस के लिए आवागमन के लिए भूमि का भी समावेश किया गया है।

अतः यह सत्यापित किया जाता है कि ग्राम बनाई तहसील तमनार जिला रायगढ़ कि प्रस्तावित निजी भूमि रेलवे ट्रैक के मापदण्डो के आधार पर किया गया है तथा यह सत्यापित किया जाता है कि अनावश्यक भूमि अर्जित नही की जा रही है।

(हस्ताक्षर)

हीरालाल सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता द.पू.म. रेलवे
बिलासपुर 5/1/17

आज दिनांक 28/01/2017 को तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना में आने वाले दस गांवों का सामाजिक समाघात निर्धारण एवं प्रबंधन हेतु प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य गण उपस्थित थे।

नाम	हस्ताक्षर
1 — गंगाधर वैरागी —	28/1/17
2. — योगेश शर्मा —	
(3) Harilal —	28/1/17
	28/1/17 → 8109188088
(4) श्री Dixit	→ 9425235366
(5) Sudhir V. Dandekar	28/1/2017 → 9826370111
(6) S. JAYAVARDHAN	28.1.17
(7) Alka Suvarna	
(8) राधेश्याम सरकड़िया	
(9) C.M. Naik (GM.TL)	28-01-17
(10) N.M Swain, Sr. Mgr, Temp	28.01.17